

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ.प्र. सरकार की हाईटेक नीति के अधीन विकसित की जा रही सुशान्त गोल्फ सिटी परियोजना का विकास एवं निर्माण में अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में किया जा रहा था। उक्त हाई-टेक टाउनशिप परियोजना से सम्बंधित चल-अचल सम्पत्तियों की निगरानी व आंकलन हेतु माननीय न्यायालय "राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायधिकरण" के आदेश दिनांक 25.02.2025 द्वारा सी.आई.आर.पी. बैठाई गई है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त चल-अचल सम्पत्तियों को अपने अधिकार में लेते हुए सी.आई.आर.पी. की प्रक्रिया प्रचलन में है। सी.आई.आर.पी. की प्रक्रिया के मध्य संज्ञान में आया है कि स्वीकृत डी०पी०आर० के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम अहिमामऊ, हसनपुर खेवली, देवामऊ, हरिहर पुर, मुजफ्फर नगर घुसवल, यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, निजामपुर मझिगवों एवं बरौना तहसील सरोजनी नगर तथा ग्राम पहाड़ नगर टिकरिया, माढरमऊकला, सोनई कंजेहरा व दाऊद नगर के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि को कम्पनी के पंजीकृत कन्सोसियम द्वारा अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है एवं अनाकृत रूप से प्लाटिंग कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। चूंकि माननीय न्यायालय "राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायधिकरण" के आदेशानुसार सी.आई.आर.पी. बैठाई गई है इसलिए इस क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना अवैध है एवं इस प्रकार के ऐसे समस्त अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया जायेगा। ऐसे समस्त अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण माननीय न्यायालय "राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायधिकरण" के आदेश की अवहेलना माना जाएगा एवं इस प्रकार के अवैध क्रय-विक्रय को निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए प्राधिकरण द्वारा अंसल की स्वीकृत डी०पी०आर० के उक्त ग्रामों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अवैध क्रय-विक्रय, अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण न करें।



(अधिकृत अधिकारी)

मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०
द्वारा नवनीत गुप्ता-आर.पी.